

प्रेस नोट –कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 06/08/2024

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तगण मय 02 अदद तमंचा, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल, 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार सहित गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर दिनांक 03.08.2024 को मु०अ०सं०- 163/2024 धारा 332सी/109/351(2)/352 बीएनएस व बढोतरी धारा 3/25 ए एक्ट तथा 3(5)/61(2) वीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 06.08.2024 को गिरफ्तार किया गया जिनमे से अभियुक्तगण 1.सुभम मिश्रा उर्फ पापे पुत्र सुरेशचन्द मिश्रा निवासी मोहल्ला सेनापत थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, 2. रोहित दिवाकर पुत्र शैलेश दिवाकर निवासी अधैया मोहल्ला छोटी गढी साहबगंज चौराहा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, की जामा तलाशी से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर मय एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुये । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछताछ का विवरण:- (पूछताछ का विवरण में घटनाक्रम => गिरफ्तार अभियुक्तगण 1.आदित्य उर्फ बादल पुत्र सतीश निवासी अंगूरी बाग पुलिया, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2.सुभम मिश्रा उर्फ पापे पुत्र सुरेशचन्द मिश्रा निवासी मोहल्ला सेनापत थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष 3. रोहित दिवाकर पुत्र शैलेश दिवाकर निवासी अधैया मोहल्ला छोटी गढी साहबगंज चौराहा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष 4. स्वागत मिश्रा पुत्र प्रेमशंकर मिश्रा निवासी दिल्ली ख्याली कूचा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फतेहगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष 5. अफरीद आलम पुत्र विरासत अली निवासी लालगेट, कब्रिस्तान थाना कादरी गेट, जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 6. शिवम उर्फ छवारा उर्फ छुआरा पुत्र भैयालाल निवासी काशीराम कालौनी अहमदपुर गढिया थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष ने एक स्वर मे बताया कि रोहित दिवाकर को वादी मुकदमा आदेश वर्मा व वादी मुकदमा के पुत्र देवांश से पूर्व मे मारपीट की गयी थी । जिससे बदला लेने के नियत से अभियुक्त सुभम मिश्रा उर्फ पापे द्वारा योजना बनाकर अपने मित्रजनो को एकत्र कर वादी मुकदमा आदेश वर्मा व उसके पुत्र के ऊपर घर पर जाकर जान से मारने की नियत से फायर किया था । घटना के बाद से हम 6 लोग कही दूर निकल जाने के प्रयास मे अभिषेक पंडित के इंतजार मे थे कि पुलिस द्वारा पकडे गये ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1.आदित्य उर्फ बादल पुत्र सतीश निवासी अंगूरी बाग पुलिया, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद उम्र करीब 23 वर्ष
- 2.सुभम मिश्रा उर्फ पापे पुत्र सुरेशचन्द मिश्रा निवासी मोहल्ला सेनापत थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष
3. रोहित दिवाकर पुत्र शैलेश दिवाकर निवासी अधैया मोहल्ला छोटी गढी साहबगंज चौराहा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
4. स्वागत मिश्रा पुत्र प्रेमशंकर मिश्रा निवासी दिल्ली ख्याली कूचा, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फतेहगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष
5. अफरीद आलम पुत्र विरासत अली निवासी लालगेट, कब्रिस्तान थाना कादरी गेट, जिला फर्रुखाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
6. शिवम उर्फ छवारा उर्फ छुआरा पुत्र भैयालाल निवासी काशीराम कालौनी अहमदपुर गढिया थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण :-

1. 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर मय 01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल मय एक अदद स्वीफ्ट डिजायर कार 207 एमवी एकट मे सीज

अभियुक्त रोहित दिवाकर पुत्र शैलेश दिवाकर उपरोक्त आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0स0 51/24 धारा 3/25 ए एकट
- 2.73/21 धारा 3/25 ए एकट

3.295/20 धारा 3/25 ए एक्ट

4.540/22 धारा 363/376/506 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट

अभियुक्त आदित्य उपरोक्त आपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0स0 273/20 धारा 380/457/411 भादवि0

2.274/20 धारा 380/457/411 भादवि0

3.मु0अ0स 281/20 धारा 379/411 भादवि0

4. मु0अ0स0 291/20 धारा 410/411 भादवि0

5.मु0अ0स0 30969/20 धारा 3/25 ए एक्ट

6.मु0अ0स0 312/20 धारा 411/413/414 भादवि0

7.मु0अ0स0 559/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट

8.मु0अ0स0 824/19 धारा 149/153/323 भादवि0

9.मु0अ0स0 899/19 धारा 279/307/337/504/506 भादवि0

10.मु0अ0स0 86/2020 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना मऊदरवाजा

11.मु0अ0स0 67/20 धारा 380/411/457 भादवि0 थाना राजेपुर

अभियुक्त शिवम उर्फ छवारा उर्फ छुआरा उपरोक्त आपराधिक इतिहास:

1.मु0अ0स0 310/23 धारा 323/504/506 भादवि0

2.मु0अ0स0 424/17 धारा 3/25 ए एक्ट

3.मु0अ0स0 693/18 धारा 3/25 ए एक्ट

4. मु0अ0स0 162/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना मऊदरवाजा

5.मु0अ0स0 406/23 धारा 307/504 भादवि व 25/3/9 ए एक्ट थाना मऊदरवाजा

6.मु0अ0स0 413/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मऊदरवाजा तथा अन्य थानाजात व जनपदों से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

1. कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश शर्मा

2. व0उ0नि0 मदनलाल पिपिल

3. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार,

4. का0 अंकित पंवार

5. का0 वीरेन्द्र सिंह

6. का0 रामकुमार

7. का0 योगेन्द्र सिंह व

8. का0 विजय कुमार

9. सर्विलांश टीम जनपद फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक :- 06.08.2024

थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-84/24 धारा -303(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्र राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र गंगाबक्स 2. धर्मेन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासी गण कटरी सथरा नई बस्ती थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को चोरी की गयी मोटरसाइकिल के साथ जमापुर मार्ग से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. अरविन्द पुत्र गंगाबक्स निवासी कटरी सथरा नई बस्ती थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. धर्मेन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासी कटरी सथरा नई बस्ती थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री विनीत पाण्डेय पुत्र राम प्रकाश पाण्डेय निवासी ग्राम व पोस्ट खण्डौली थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ की मोटरसाइकिल नं० UP76S8279 Hero Splender Pro निबिया चौराहे से अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में विनीत उपरोक्त की लिखित के आधार पर दिनांक 05.08.24 को थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 84/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पतारसी सुरागरसी करते समय मुखविर की सूचना पर राजेपुर से चित्रकुट गाँव की तरफ जमापुर मार्ग से अभियुक्तगण 1. अरविन्द पुत्र गंगाबक्स निवासी कटरी सथरा नई बस्ती थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 2. धर्मेन्द्र पुत्र उदयवीर सिंह निवासी कटरी सथरा नई बस्ती थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को चोरी गयी मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस की बढोत्तरी की गयी।

पूछताछ का विवरण: -

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त अरविन्द का आपराधिक इतिहास :-

1. मु०अ०सं० 84/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 19/21 धारा 13 जी सार्वजनिक जुआ अधि० थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त धर्मेन्द्र का आपराधिक इतिहास :-

1. मु०अ०सं० 84/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की गयी मोटरसाइकिल नं० UP76S8279 Hero Splender Pro।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम :-

1. प्र०नि० श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी
- 2- उ०नि० श्री अजय सिंह
- 3- उ०नि० श्री अक्षय कुमार
4. हे०का० प्रमोद कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

दिनांक :- 06.08.2024

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/24 धारा 379/411 भादवि में प्रकाश में आया अभियुक्त को चोरी की 01 अदद सोलर प्लेट व 600 रुपये नगद सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 163/24 धारा 379/411 भादवि0 मे प्रकाश में आया अभियुक्त निगम पुत्र मलिया निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को चोरी की गयी 01 अदद सोलर प्लेट व 600 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. निगम पुत्र मलिया निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण :- दिनांक 15.06.2024 की रात्रि 9 सोलर प्लेट चोरी हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में वादी रामविहारी पुत्र स्व० रामस्वरूप निवासी ग्राम खानपुर नगला थाना कादरीगेट द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु०अ०सं० 163/24 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 05.08.2024 को म०उ०नि० सुधापाल मय हमराह का० अंकुश देशवाल चौकी क्षेत्र कादरीगेट में संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त निगम पुत्र मलिया निवासी लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को बाग लकूला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ से चोरी की 01 सोलर प्लेट व 600 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त निगम उपरोक्त ने बताया कि साहब मैंने दिनांक 15.06.2024 को रात के समय ग्राम खानपुर के एक खेत से 09 सोलर प्लेट चोरी की थी उनमे मैंने एक राहगीर को 08 प्लेट बेच दी थी जिसके पैसे खर्च हो गये है। उन सभी प्लेटो मे से यह 01 प्लेट व 600 रुपये बचे है। साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दो।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद सोलर प्लेट व 600 रुपये नगद।

अभियुक्त निगम का आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 01/18 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं० 1081/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ०सं० 163/24 धारा 379/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. महिला उप निरीक्षक सुधापाल।
2. का० अंकुश देशवाल।

मीडिया सेल फतेहगढ़।





OPPO F19

Smarty Aka | 2024.08.06 15:23





